35/16

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CV 540439

20 APR 2016 S

करछना, इलाहाबाद

हनुमत चैरिटेबल ट्रस्ट

1. मै विनय कुमार सिंह पुत्र श्री जगत बहादुर सिंह निवासी ग्राम महुआरी ता० लवायन परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद ।

सर्वे भूत हितेरताः सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से दलितो, पिछड़ो एवं अन्य निर्धन व्यक्तियो के मध्य सेवा कार्य करते हुए, उनके आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक उत्थान हेतु विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमो को सुचारु रुप से संचालित करने हेतु एक ट्रस्ट का होना आवश्यक समझता हॅं।

अतः आज दिनांक 26.04.2016 को मै विनय कुमार सिंह ट्रस्टकर्ता के रुप मे रुपये 11,000/-(रुपये ग्यारह हजार मात्र) प्रदान कर हनुमत चैरिटेबल ट्रस्ट सजित करता हूँ। उपरोक्त राशि ट्रस्ट कोष के रुप मे उसकी स्थायी सम्पत्ति होगी। जो ट्रस्ट के बैंक खाते मे स्थाई रुप से जमा रहेगी। ट्रस्ट में अधिकतम तीन आजीवन ट्रस्टी होंगे। ट्रस्ट का एक आजीवन चेयरमैन ट्रस्टी होगा। जिसे ट्रस्ट की ओर से सम्पत्तियो के क्रय-विक्रय करने किराये पर देने लेने, लीज पर देने व लेने, बन्धक रखने तथा उन अभिलेखो पर हस्ताक्षर करने का विधिक अधिकार होगा। मैनेजिंग ट्रस्टी का अन्य ट्रस्टियो को नियुक्त करने तथा ट्रस्टीमण्डल की संस्तुति पर उसे हटाने का अधिकार। मै ट्रस्ट का चेयरमैन ट्रस्टी रहूंगा। मेरे बाद मेरा पुत्र या वारिस ही उक्त ट्रस्ट का ट्रस्टी होगा।

2. ट्रस्ट का नाम-हनुमत चैरिटेबल ट्रस्ट होगा

3. ट्रस्ट का मुख्यालय-ग्राम महुवारी पोस्ट टी०एस०एल०, नैनी, इलाहाबाद तथा इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा।

Vinay

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CV 540440

R 20 APR 2016 S

4. ट्रस्ट के उद्देश्य

1. शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु विद्यालय, महाविद्यालय/विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, पाली टेक्निक, फारमेसी कालेज, आयुर्वेदिक कालेज, बायोटक संस्थान एवं अन्य समस्त शैक्षणिक व शोध संस्थानो व समस्त व्यवसायिक पाठ्यक्रमो को संचालित करना।
2. गरीब/निर्धन छात्र एवं छात्राओ के लिए छात्रावासो का निर्माण करना।
3. वृद्धाश्रम एवं अनाथालय का निर्माण एवं व्यवस्था करना।
4. चिकित्सालय, नर्सिंग होम एवं मैटरनिटी होम स्थापित एवं संचालित करना।
5. चिकित्सा कालेज स्थापित एवं संचालित करना।
6. नेत्र एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी शिविरो का आयोजन करना।
7. ग्रामीणान्चल मे व्यावसायिक शिक्षा का प्रबन्ध करना।
8. विकलांग केन्द्रो की स्थापना एवं संचालन करना।
9. दलितो एवं पिछड़े/कमजोर वर्ग के लोगो के उत्थान हेतु कुटीर उद्योगो को स्थापित कर उन्हे आत्म निर्भर बनाना।
10. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रो मे पुरुष एवं महिलाओ को समूहो के माध्यम से सरकार द्वारा चलायी जा रही योजना के अन्तर्गत उन्हे ऋण दिलाने के साथ उनके अन्दर बचत की भावना जागृत करना एवं उन्हे स्वरोजगार उपलब्ध कराना।
11. अन्य समितियो द्वारा हस्तांतरित विद्यालयो, महाविद्यालयो एवं अन्य संस्थाओ का संचालन करना।
12. धार्मिक कार्यक्रमो का आयोजन करना तथा उनका प्रबन्ध करना।
13. कृषि–वानिकी, फलोद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण सम्बन्धी गतिविधियो का संचालन करना।
14. उद्देश्यो के अनुरुप शोधपरक कार्यो का सम्पादन करना।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CV 540441

20 APR 2016

15. मानव विकास के लिए विभिन्न प्रकार के अनुसंधान एवं विकासात्मक कार्योक्रमो का संचालन करना।
16. पर्यावरण संरक्षण, संबर्द्धन एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की दिशा मे कार्य करना।
17. महिला युवा बाल कल्याण एवं कमजोर वर्गो के कल्याण हेतु प्रशिक्षण एवं रोजगार परक कार्यक्रमो का संचालन करना।
18. कृषि विकास भूमि सुधार एवं जन संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमो का संचालन करना।
19. मानसिंक रुप से मंदित व्यक्तियो के कल्याण कार्यक्रमो का आयोजन करना।
20. महिला हिंसा, बाल–विवाह सती प्रथा, छुआछूत, भ्रूण हत्या, बाल अपराध व जनसंख्या वृद्धि आदि सामाजिक समस्याओ के निवारण हेतु कार्य करना।

21. खादी एवं ग्रामोद्योग सम्बन्धी कार्यक्रमो का आयोजन कर लोगो को स्वावलम्बी बनाना।

5. <u>ट्रस्ट की आय–</u>

ट्रस्ट की आय स्थायी कोष का ब्याज लाभांश सरकारी, अर्द्धसरकारी संस्थाओ द्वारा अनुदान, जनप्रतिनिधियो द्वारा सहायता राशि, उदार व्यक्तियो द्वारा प्रदत्त चल, अचल सम्पत्ति तथा ट्रस्ट की अन्य सम्पत्तियो से प्राप्त धनराशि आदि से होगी। जिसका उपयोग ट्रस्ट के उद्देश्य पूर्ति मे किया जायेगा।

Vinay

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 20 APR 2016 S CV 540442

करछना, इलाहाबाद

6. <u>ट्रस्ट का गठन–</u>

ट्रस्ट के उद्देश्यो मे रुचि/आस्था रखने वाले निम्न महानुभाव–

क्र0 सं0	ट्रस्टी का नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम	निवासी
1.	श्री विनय कुमार सिंह	श्री जगत बहादुर सिंह	चेयरमैन ट्रस्टी	ग्राम महुआरी ता0 लवायन तहसील करछना जिला इलाहाबाद
2.	श्रीमती स्वाती सिंह	श्री विनय कुमार सिंह	ट्रस्टी	ग्राम महुआरी ता0 लवायन तहसील करछना जिला इलाहाबाद
3.	अभिज्ञान सिंह	श्री विनय कुमार सिंह	ट्रस्टी	ग्राम महुआरी ता0 लवायन तहसील करछना जिला इलाहाबाद

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL [redacted]

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

SCV 540443

ट्रस्ट के आजीवन वर्तमान ट्रस्टी होगे, जो वर्तमान ट्रस्टी मण्डल का गठन करेंगे। आवश्यकतानुसार भविष्य मे ट्रसटियो की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। ट्रस्ट एवं उसके द्वारा संचालित संस्थाओ की समस्त सम्पत्ति ट्रस्टी मण्डल मे निहित होगी ट्रस्टी मण्डल इसे धारण करेगा,इसकी देखभाल करेगा, इसका प्रबंधन करेगा, तथा ट्रस्ट के उद्‌देश्यो की पूर्ति हेतु इसका उपयोग करेगा। ट्रस्ट के समस्त कार्य–कलाप ट्रस्टी मण्डल द्वारा सर्वसम्मति अथवा बहुमत से लिये गये निर्णयो के अर्न्तगत सम्पादित होंगे।

7. **ट्रस्टी मण्डल की बैठके –**

ट्रस्टी मण्डल की वर्ष मे एक बार बैठक जून माह मे हुआ करेगी। आवश्यकता पड़ने पर अन्य बैठके भी हो सकती है। ट्रस्टी मण्डल की बैठक की लिखित सूचना एवं एजेण्डा कम से कम एक सप्ताह पूर्व प्रत्येक ट्रस्टी को प्राप्त करा दी जायेगी। आकस्मिक बैठके एक दिन के अन्दर बुलाई जा सकती है। आपात स्थिति मे ट्रस्ट संबंधी त्वरित निर्णय मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा लिया जा सकता है। जिसका ट्रस्ट की बैठक बुलाकर अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ट्रस्ट की बैठक का कोरम कम से कम सात सदस्यो की उपस्थिति होगी। किन्तु स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नही होगी।

8. **ट्रस्टियो की नियुक्ति –**

18 वर्ष से अधिक आयु एवं ट्रस्ट के उद्‌देश्यो में रूचि रखने वाले व्यक्तियों को ही चेयरमैन ट्रस्टी,ट्रस्टी नियुक्त कर सकता हैं।

[redacted]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 20 CW 540444

9. ट्रस्टी मण्डल की सदस्यता समाप्ति–
- ट्रस्टी के त्याग पत्र देने पर
- ट्रस्ट के उद्देश्य के विपरीत कार्य करने
- शारीरिक अथवा मानसिक रुप से अक्षम हाने

ट्रस्टी मण्डल की बैठके, जिसमे वह भाग नही लेगा, मे बहुमत से लिये गये निर्णय के आधार पर चेयरमैन ट्रस्टी उसकी ट्रस्टी मण्डल सदस्यता बिना कारण बताये समाप्त कर सकता है।

10. **ट्रस्ट के पदाधिकारी –**

ट्रस्ट की की गतिविधियो को सुचारु रुप संचालन हेतु ट्रस्ट के निम्न पदाधिकारी होंगे–

अध्यक्ष–श्री विनय कुमार सिंह पुत्र श्री जगत बहादुर सिंह निवासी महुआरी ता0 लवायन तहसील करछना इलाहाबाद

सचिव–श्रीमती स्वाती सिंह पत्नी विनय कुमार सिंह निवासी महुआरी ता0 लवायन तहसील करछना इलाहाबाद

कोषाध्यक्ष–श्री अभिज्ञान सिंह पुत्र श्री विनय कुमार सिंह निवासी महुआरी ता0 लवायन तहसील करछना इलाहाबाद उपरोक्त पदाधिकारियो का चयन ट्रस्टी मण्डल द्वारा ट्रस्टियो मे से ही उनके जीवनकाल तक के लिए किया जायेगा।

11. **ट्रस्ट के पदाधिकारियो के अधिकार एवं दायित्व–**

अध्यक्ष–

अध्यक्ष ट्रस्टी मण्डल की बैठको को आहूत करने के लिए सचिव को निर्देश देगा, तथा उसकी अध्यक्षता करेंगा। वह ट्रस्टी मण्डल के निर्णयो की घोषणा करेगा। बराबर मतो की स्थिति मे उसका मत निर्णायक एवं सर्वमान्य होगा। उसकी अनुपस्थिति मे बैठक मे उपस्थित वरिष्ठतम ट्रस्टी उसके दायित्वो का निर्वहन करेगा।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 20 APR 2016 S

CV 540445

सचिव

सचिव ट्रस्ट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। वह अध्यक्ष के निर्देश पर बैठक आहूत करेंगा। वह ट्रस्ट की बैठक की कार्यवाहियो का अभिलेखन करेगा। ट्रस्ट के समस्त अभिलेखो का ट्रस्ट की ओर से ट्रस्ट द्वारा स्थापित एवं संचालित संस्थाओ को आवश्यक निर्देश देंगा तथा उसके पालन को सुनिश्चित करेगा। वह ट्रस्ट के समस्त निर्णयो का क्रियान्वयन करेगा। वह न्यायालय सरकार अथवा अन्यत्र कही भी ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करेगा। वह ट्रस्टी मण्डल के निर्णय के अनुसार ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओ के कर्मचारियो के पदो का सृजन करेगा, उस पर नियुक्ति, उनका वेतन, परिश्रामिक भत्ता तथा दैनिक मजदूरी का निर्धारण आदि कार्य करेगा तथा उसकी सूचना संबंधित संस्था के प्रधान को देगा। सचिव ट्रस्टी की ओर से उदार मना व्यक्तियो द्वारा दान, ट्रस्ट सम्पत्तियो का किराया, ट्रस्ट सम्पत्तियो की विक्रय राशि, सरकारी तथा अद्धसरकारी संस्थाओ द्वारा अनुदान, जनप्रतिनिधियो द्वारा प्रदत्त सहायता राशि आदि प्राप्त करेगा, तथा उसे ट्रस्ट के बैंक खाते मे जमा करेगा तथा उसका लेखा –जोखा रखेगा। उपरोक्त राशि ट्रस्ट के उद्‌देश्य पूर्ति हेतु ट्रस्ट के निर्देशानुसार उपयोग की जायेगी। ट्रस्ट का वार्षिक बजट तैयार कर ट्रस्टी मण्डल की वार्षिक बैठक मे अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा। ट्रस्टी मण्डल के समस्त वित्तीय पत्रजातो का लेखा परीक्षण करायेगा तथा उसकी रिपोर्ट ट्रस्टी मण्डल के वार्षिक बैठक मे प्रस्तुत करेगा। लेखा एवं बैंक संबंधी समस्त पत्रजात ट्रस्ट कार्यालय मे सुरक्षित रखेगा। वह ऐसे समस्त कार्यो एवं दायित्वो का निर्वहन करेगा जो उसे ट्रस्टी मण्डल द्वारा समय–समय पर करने के लिए अधिकृत किया जायेगा। अध्यक्ष की अनुमति से या उनकी अनुपस्थिति मे उनके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले समस्त कार्यो का सम्पादन सचिव द्वारा किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 20 APR 2016 S CV 540446

कोषाध्यक्ष–

कोषाध्यक्ष ट्रस्ट की आय/व्यय का मद व तिथिवार ब्योरा रखना तथा आय/व्यय सम्बन्धि पत्रक तैयार करना एवं सम्बन्धित कागजो पर चेयरमैन ट्रस्टी की स्वीकृति प्राप्त करना।

12. ट्रस्टी मण्डल के अधिकार–

1. किसी राष्ट्रीय बैंक/निजी क्षेत्र के बैंक मे चेयरमैन ट्रस्टी द्वारा एकल रुप से संचालित ट्रस्ट के नाम खाता खोलने हेतु निर्णय लेना।
2. ट्रस्ट एवं ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओ के नियमो, परिनियमो ,उद्देश्यो आदि मे संशोधन करना, नये नियम बनाना तथा अनुपयोगी हो चुके नियमो को समाप्त करना।
3. ट्रस्ट कार्य हेतु कर्मचारियो को नियुक्ति करना, उनके वेतन का भुगतान करना तथा न्यायोचित कारणो से उन्हे पदच्युत करना।
4. ट्रस्ट अथवा उसके द्वारा संचालित संस्थाओ के दोषी कर्मचारियो के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर उन्हे दण्डित करना।
5. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओ के प्रबन्धन हेतु प्रबन्ध समिति के गठन हेतु संविधान/नियमावनी बनाना।
6. ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था की ट्रस्ट के उद्देश्यो के विरुद्ध कार्य करने वाली अथवा विवादितप्रबन्ध समिति को भंग कर उनके स्थान पर दूसरी प्रबन्ध समिति का गठन करना तथा उसके उठन होने तक संस्था का प्रबन्धन चेयरमैन ट्रस्टी द्वारा कराना।
7. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओ के समस्त विवादो का निपटारा करना।
8. ट्रस्ट के विरुद्ध समस्त वाद मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद मे ही मान्य होंगे।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 20 APR 2016 S करछना, इलाहाबाद

CV 540447

13. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओ का संविधान–

ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय/महाविद्यालय एवं अन्य शैक्षिक/तकनीकी आदि संस्थाओ के सुचारु प्रबन्धन हेतु ट्रस्ट के प्राविधानो तथा मान्यता/सम्बद्धता प्रदान करने वाली संस्थाओ के नियमो के अन्तर्गत एक प्रबन्ध समिति निम्न प्रकार गठित होगी जिसके पदाधिकारी निम्न प्रकार होंगे–

अध्यक्ष	–	एक
उपाध्यक्ष	–	एक
प्रबंधक	–	एक
उपप्रबंधक	–	एक (चेयरमैन ट्रस्टी द्वारा 3 वर्ष के लिए नामित)
कोषाध्यक्ष	–	एक
सदस्य	–	दो (चेयरमैन ट्रस्टी द्वारा 3 वर्ष के लिए नामित)
संस्था का प्रधान	–	पदेन
शिक्षक प्रतिनिधी	–	नियमानुसार शिक्षको द्वारा 3 वर्ष के लिए नामित
शिक्षणेत्तर कर्मचारी प्रतिनिधी	–	नियमानुसार शिक्षणेत्तर कर्मचारी द्वारा 3 वर्ष के लिए नामित

उपरोक्त प्रबन्ध समिति के पदेन एवं नामित सदस्यो को छोड़कर शेष का चयन ट्रस्टी मण्डल द्वारा चेयरमैन ट्रस्टी की देख–रेख मे अपने मे से ही 3 वर्ष के लिए किया जायेगा। यदि कोई पद अपने आप अथवा किन्ही कारणो से हटा दिये जाने के फलस्वरुप रिक्त हो जाता है तो उस पर नये पदाधिकारी का चयन ट्रस्टियो मे से ट्रस्टी द्वारा बहुमत से शेष अवधि के लिए किया जायेगा अथवा नामित सदस्यो की स्थिति मे चेयरमैन ट्रस्टी द्वारा शेष अवधि के लिए नामित किया जायेगा। प्रबन्ध समिति की बैठक वर्ष मे दो बार होगी, आवश्यकता पडने पर

Vinod

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AS 708680

अन्य बैठके भी हो सकती है। जिसके लिए सूचना एवं एजेण्डा एक सप्ताह पूर्व सदस्यो को प्रबन्धक द्वारा प्राप्त कराना होगा। आवश्यकता पड़ने पर आकस्मिक बैठक कभी भी एक दिन के अंदर हो सकती है। आपातकाल मे प्रबधकक द्वारा स्वविवेक से निर्णय लिया जा सकता है। जिसके बाद मे प्रबंध समिति का अनुमोदन अनिवार्य होगा। उसे प्रबन्ध समिति के समस्त निर्णयो से ट्रस्टी मण्डल को अवगत कराकर उसकी सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उसके बाद ही वह उसे क्रियान्वित कर सकता है। ट्रस्टी मण्डल के निर्णयानुसार किसी राष्ट्रीकृत बैंक मे संस्था के नाम खाता खोला जायेगा जिसका संचालन चेयरमैन ट्रस्टी के हस्ताक्षर से होगा अथवा प्रबन्धक/अध्यक्ष मे से किसी एक के हस्ताक्षर से भी मान्य होगा।

प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियो के अधिकार एवं दायित्व—

अध्यक्ष—प्रबन्ध समिति की बैठक का अहूत करने के लिए प्रबन्धक को निर्देश देना। बैठको की अध्यक्षता करना। समिति के निर्णयो की घोषणा करना। अनिर्णय की स्थिति मे बैठक की कार्यवाही ट्रस्टी मण्डल को संदर्भित करना तथा उसके निर्णय प्राप्त होने पर समस्त सदस्यो को निर्णय से अवगत कराने के लिए प्रबंधक को निर्देशित करना। उसके बाद ही प्रबन्धक उसे कार्यन्वित कर सकता है।

Vinod

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AS 708681

उपाध्यक्ष–

अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे उनके दायित्वो का निर्वहन करना।

प्रबन्धक–

प्रबन्धक, अध्यक्ष के निर्देश पर प्रबन्ध समिति की बैठक आहूत करेगा तथा बैठक की सूचना एक सप्ताह पूर्व सदस्यो को एजेण्डा सहित प्राप्त करायेगा। वह संस्था का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। वह बैंक से लेन–देन पत्र व्यवहार, न्यायालयीय कार्य, नियुक्तिया, वेतन वितरण क्रय–विक्रय अनुशासनात्मक कार्वाहियॉ, आदि करेगा। वह बैठक की कार्यवाही का अभिलेखन करेगा तथा उससे संबंधित समस्त पत्राजातो का रख–रखाव करेगा। संस्था अथवा प्रबंध समिति मे किसी प्रकार के विवाद के सम्बन्ध मे वह ट्रस्टी मण्डल को अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेगा तथा ट्रस्टीमण्डल द्वारा लिये गये निर्णय को कार्यान्वित करेगा।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AS 708682

उपप्रबन्धक–

प्रबंधक की अनुपस्थिति मे उसके समस्त दायित्व का निर्वहन करेगा।

कोषाध्यक्ष–

निधियो का संरक्षण करना वित्तीय नीति निर्धारण एवं वित्तीय विषयो पर संस्तुति प्रदान करना बैक खाते का लेखा–जोखा रखना।

15. ट्रस्ट डीड मे संशोधन–

ट्रस्टी मण्डल 2/3 के बहुमत से ट्रस्ट डीड मे संसोधन कर सकता है तथा उसमे कुछ जोड़ सकता है तथा उसके कुछ अंश जो विधि सम्मत न हो को हटा सकता है। उपरोक्त के लिए बैठक की सूचना ट्रस्टियो को कम से कम 15 दिन पूर्व प्राप्त कराना आवश्यक होगा ट्रस्टी मण्डल चेयरमैंन ट्रस्टी को उपरोक्त संसोधनो एवं परिवर्तनो के सम्बन्ध मे कार्यवाही करने के लिए अधिकृत करेगा।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AS 708683

अतएव मै अपने स्वस्थ्य मसतिष्क एवं होश हवास से यह ट्रस्ट विलेख (TRUST DEED) लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे।

दिनांक–26.04.2016

गवाह–1 Kamlesh. Kumar. Singh
S/o late Ashok.Kr.Singh
Vill-Nevada Samogaara, P.O.T.S.
Naini, Alld, 8726771000

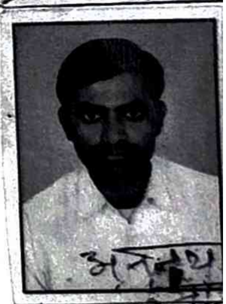

गवाह–2 अनुनय कुमार S/o रामबहादुर
नि० ग्रा० सुलमई, प० भैरैल
तह० करछना, इलाहाबाद
मो०नं० - 8934078308

मसविदाकर्ता– SALEEM ULLAH ADVO
KARCHANA-ALLD.

स्टाम्प विक्रय करने की तिथि 26-4-16

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ......

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ......

......

स्टाम्प की धनराशि .... रजि०नम्बर..

स्टाम्प विक्रेता का नाम मो० गुलाम जीलानी

लाइसेंस नम्बर 643

लाइसेंस की अवधि–31 मार्च ई०

अधिकृत विक्रय करने का स्थान व पूरा पता तहसील करछना ग्राम हल्दी कलाँ मर्जरा मुजरा थाना औ० क्षे० इलाहाबाद

मो० गुलाम जीलानी

आज दिनांक **26/04/2016** को

वही सं. **4** जिल्द सं. **20**

पृष्ठ सं. **125** से **150** पर क्रमांक **35**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

शिवेन्द्र कुमार सिंह

उप निबंधक करछना

करछना

26/4/2016

उप रजिस्ट्रार करछना, जिला इलाहाबाद

सत्यमेव जयते